



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा जनपद फतेहगढ़ के आदेशानुसारघटित घटना दिनांक 06.02.2021 जो दिनांक 08.02.2021 पंजीकृत मु0अ0स0 51/21 धारा 363 भा0द0स0 वादी श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी न्यू फौजी कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद का टीम गठित कर शीघ्र सफल अनावरण करें के क्रम श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल , उ0नि0 दिनेश चन्द्र यादव , उ0नि0 तेजबहादुर सिंह, म0उ0नि0 सीमा पटेल , का0 696 जुगेन्द्र सिंह व का0 966 राहुल कुमार व म0का0 354 हिमांशी व म0का0 227 पूजा मय वाहन सरकारी व चालक का0 गौरव मन्डार के रवानाशुदा मुखविर की सूचना पर व तकनीकी विधि के क्रम में श्रीमती नीरज पत्नी शैलेन्द्र निवासी न्यू फौजी कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद से घूमा फिराकर गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि यश प्रताप उम्र करीब 5 वर्ष पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह निवासी कल्लू टीलपुर थाना नयागांव जनपद एटा जो अपनी ताई नीरज उपरोक्त के पास रहता था। बिस्तर पर लेट्टिन करने को लेकर हत्या कर अपने पिता रामबहादुर पुत्र चौबे सिंह निवासी जिजौटा बुर्जुंग थाना कम्पिल जनपद फर्रु0 की मदद से मौजा जिजौटा थाना कम्पिल जनपद फर्रु0 के जंगल में काले बैग में रखकर एक गड्डे में छिपा देना बताया और बताया कि मैं अपने पिता की मदद से चलकर यश का शव बरामद करा सकती हूँ। इस बात पर विश्वास कर महिला उ0नि0 सीमा पटेल व महिला आरक्षी की मदद से श्रीमती नीरज उपरोक्त को लेकर गांव जिजौटा उपरोक्त पर आया तो श्रीमती नीरज का पिता रामबहादुर घर के बाहर मिला। जिसे साथ लिया गया। दोनों की निशादेही पर मृतक यश उपरोक्त का शव ग्राम जिजौटा उपरोक्त के मौजा में जंगल में एक गड्डे से शव बरामद कराया गया। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुये श्रीमती नीरज व श्रीमती नीरज के पिता रामबहादुर को हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद शव का पंचायतनामा की कार्यवाही कर मोर्चरी हाउस पर वास्ते कराने पोस्टमार्टम मोर्चरी हाउस पर रखा गया। पी.एम. हेतु का0 435 अमित कुमार को सुपुर्द किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 302, 201, 120 बी आई0पी0सी0 में बढ़ोत्तरी कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता-

- 1- श्रीमती नीरज पत्नी शैलेन्द्र निवासी न्यू फौजी कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

2- रामबहादुर पुत्र चौबे सिंह निवासी जिजोटा बुर्जुंग थाना कम्पिल जनपद फर्रु० उम्र करीब 73 वर्ष।



आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 51/21 धारा 302/201/120बी भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर ।
- 2- प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल
- 3- उ०नि० श्री दिनेश चन्द्र यादव
- 4- उ०नि० श्री तेजबहादुर सिंह
- 5- म०उ०नि० सीमा पटेल
- 6- का० 696 जुगेन्द्र सिंह
- 7- का० 965 गौरव कुमार
- 8- म०का० 354 हिमांशी
- 9- म०का० 227 पूजा
- 10- का० 966 राहुल कुमार
- 11- हे०का० सतेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर सर्विलांस सेल
- 12- का० अनुराग सर्विलांस सेल ।